अध्याय 19-वित्तीय विषयों में प्रक्रिया.

(क) आय-व्ययक.

149. प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में राज्य शासन का वार्षिक वित्तीय विवरण या प्राक्कलित आय और व्यय का विवरण (जिसे इसके पश्चात् "आय-व्ययक" कहा गया है) सभा में ऐसे दिन उपस्थापित किया जायेगा जैसा कि राज्यपाल निर्देश दें. **आय-व्ययक.**

150. आय-व्ययक पर उस दिन कोई चर्चा नहीं होगी जिस दिन कि वह सभा में उपस्थापित किया जाय. **उपस्थापन के दिन आय-व्ययक पर चर्चा न होना.**

(ख) अनुदानों की मांगें, आय-व्ययक पर चर्चा, कटौती प्रस्ताव, लेखानुदान

151. (1) शासन के प्रत्येक विभाग के लिये प्रस्तावित अनुदान के संबंध में साधारणतया एक पृथक् मांग की जाएगी, परन्तु वित्त मंत्री दो या अधिक विभागों के लिए प्रस्तावित अनुदानों को एक मांग में सम्मिलित कर सकेगा या ऐसे व्यय के संबंध में एक मांग कर सकेगा, जिसका वर्गीकरण किसी एक विभाग के अन्तर्गत सहज में न किया जा सके. **अनुदानों की मांगें.**

(2) प्रत्येक मांग से पहले समग्र प्रस्तावित अनुदान का विवरण दिया जायेगा और उसके बाद प्रत्येक अनुदान के अन्तर्गत विस्तृत प्राक्कलन का यथा व्यवहार्य, मदों में विभाजित विवरण दिया जायेगा.

152. (1) जिस दिन आय-व्ययक प्रस्तुत किया जाये उसके बाद अध्यक्ष द्वारा नियत किये जाने वाले दिन और उतने समय के लिये जितना कि अध्यक्ष इस प्रयोजन के लिये नियत करे, सभा संपूर्ण आय-व्ययक पर या उसमें अन्तर्ग्रस्त सिद्धान्त के किसी प्रश्न पर चर्चा करने के लिये स्वतंत्र होगी, किन्तु इस प्रक्रम में न तो कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किया जायेगा और न ही आय-व्ययक सभा में मतदान के लिये रखा जायेगा. **आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा.**

(2) वित्त मंत्री को चर्चा के अन्त में उत्तर देने का सामान्य अधिकार होगा.

(3) अध्यक्ष, यदि ठीक समझे, भाषणों के लिये समय सीमा विहित कर सकेगा.

153. (1) अध्यक्ष, सभा नेता से परामर्श करने के बाद अनुदानों की मांगों पर चर्चा और मतदान के लिये उतने दिन नियत करेगा जो लोकहित में सुसंगत हो. **अनुदानों पर मतदान.**

(2) अध्यक्ष, नियत दिनों के अंतिम दिन 4 बजे अथवा किसी ऐसे अन्य समय पर जो कि अध्यक्ष पहले से ही निश्चित कर दे अनुदानों के संबंध में सभी अवशिष्ट विषयों को निपटाने के लिये प्रत्येक आवश्यक प्रश्न तुरन्त रखेगा.

(3) किसी अनुदान को कम करने के लिये प्रस्ताव प्रस्तुत किये जा सकेंगे.

(4) किसी अनुदान को कम करने के प्रस्तावों में संशोधनों की अनुज्ञा नहीं होगी.

(5) जब एक ही मांग से संबंधित कई प्रस्ताव दिये जायें तब उन पर उस क्रम में चर्चा होगी जिस क्रम में उनसे संबंधित शीर्षक आय-व्ययक में दिये गये हों.

154. यदि अनुदान को कम करने के किसी प्रस्ताव की सूचना मतदान के लिये नियत प्रथम दिन के पूरे चार दिन पहले न दी गई हो तो कोई सदस्य प्रस्ताव के प्रस्तुत करने पर आपत्ति कर सकता है और जब तक कि अध्यक्ष प्रस्ताव करने की अनुमति न दे दें तब तक ऐसी आपत्ति अभिभावी होगी. **कटौती प्रस्तावों की सूचना.**

154-क. मांग की राशि कम करने की सूचना ग्राह्य हो सके, इसके लिये वह निम्नलिखित शर्तें पूरी करेगी अर्थात् :- **कटौती प्रस्तावों की ग्राह्यता की शर्तें.**

(1) उसका संबंध केवल एक मांग से होगा;

(2) वह स्पष्टतया व्यक्त की जावेगी और उसमें प्रतर्क वर्णन, अनुमान, व्यंगात्मक पद, अभ्यरोप, विशेषण, मानहानिकारक कथन नहीं होंगे;

(3) वह एक ही विशिष्ट विषय तक सीमित रखी जायेगी, उसका वर्णन सुतथ्य शब्दों में किया जायेगा;

(4) उसमें किसी ऐसे व्यक्ति के चरित्र या आचरण पर अभ्युक्ति नहीं की जावेगी, जिसके आचरण पर मूल प्रस्ताव के द्वारा ही आपत्ति की जा सकती हो;

(5) उसमें वर्तमान विधियों का संशोधन या निरसन करने के लिये सुझाव नहीं दिये जायेंगे;

(6) वह ऐसे विषय का निर्देश नहीं करेगी, जो मुख्यतया छत्तीसगढ़ सरकार का विषय न हो;

(7) उसका किसी ऐसे व्यय से संबंध नहीं होगा, जो कि छत्तीसगढ़ की संचित निधि पर भारित हो;

(8) उसका किसी ऐसे विषय से संबंध नहीं होगा जो छत्तीसगढ़ के किसी भाग में क्षेत्राधिकार रखने वाले किसी न्यायालय के न्याय निर्णयन के अन्तर्गत हो;

(9) उसमें विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं उठाया जायेगा;

(10) उसमें ऐसे विषय पर फिर चर्चा नहीं की जायेगी जिस पर उसी सत्र में चर्चा की जा चुकी हो और जिस पर विनिश्चय किया जा चुका हो;

(11) उसमें उस विषय की पूर्वाशा नहीं की जायेगी जो विचार के लिये पहले ही नियत किया जा चुका हो;

(12) उसमें साधारणतया ऐसे विषय पर चर्चा नहीं उठाई जायेगी जो कोई न्यायिक या अर्द्ध न्यायिक कृत्य करने वाले किसी संविहित न्यायाधिकरण या संविहित प्राधिकारी के या किसी विषय की जांच या अनुसंधान करने के लिये नियुक्त किसी आयोग या जांच न्यायालय के सामने विचाराधीन हो :

परन्तु अध्यक्ष अपने स्वविवेक से ऐसे विषय को सभा में उठाने की अनुमति दे सकेगा जो जांच की प्रक्रिया अथवा प्रक्रम से संबंधित हो, यदि अध्यक्ष का समाधान हो जाय कि इससे संविहित न्यायाधिकरण, संविहित प्राधिकारी, आयोग या जांच न्यायालय द्वारा उस विषय के विचार किये जाने पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है; और

(13) उसका संबंध तुच्छ विषय से नहीं होगा.

154-ख. अध्यक्ष, विनिश्चय करेगा कि कोई कटौती प्रस्ताव इन नियमों के अन्तर्गत ग्राह्य है अथवा नहीं और वह कोई कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत कर सकेगा जो उसकी राय में कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करने के अधिकार का दुरूपयोग हो या सभा की प्रक्रिया में बाधा डालने या उस पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के लिये आयोजित हो या इन नियमों का उल्लंघन करता हो. **अध्यक्ष कटौती प्रस्तावों की ग्राह्यता का विनिश्चय करेगा.**

155. (1) लेखानुदान के प्रस्ताव में अपेक्षित समग्र राशि बताई जायेगी और पृथक-पृथक विभागों या व्यय के मद के लिये आवश्यक विभिन्न धनराशियां जिनसे वह समग्र राशि बनी है, प्रस्ताव से संलग्न अनुसूची में बतायी जावेगी. **लेखानुदान.**

(2) संपूर्ण अनुदान को कम करने के लिये या जिन मदों से मिलकर अनुदान बना हो उनको कम करने या निकाल देने के लिये संशोधन प्रस्तुत किये जा सकेंगे.

(3) प्रस्ताव पर या उसमें प्रस्तावित किये गये संशोधनों पर सामान्य प्रकार की चर्चा की अनुमति होगी, किन्तु अनुदान के ब्यौरे पर उससे अधिक चर्चा नहीं होगी जितनी कि सामान्य विषयों को बताने के लिये आवश्यक हो.

(4) अन्य प्रकरणों में लेखानुदान के प्रस्ताव पर उसी प्रकार की कार्यवाही की जायेगी जैसे कि वह अनुदान की मांग हो.

अनुपूरक, अपर अतिरिक्त और अपवाद अनुदान तथा प्रत्यानुदान.

156. (1) अनुपूरक, अपर अतिरिक्त और अपवाद अनुदान तथा प्रत्यानुदान, परिवर्तन, परिवर्द्धन या लोपन करने वाले ऐसे अनुकूलनों के अधीन जैसे कि अध्यक्ष आवश्यक या वांछनीय समझे, उस प्रक्रिया से विनियमित होंगे जो अनुदानों की मांगों के संबंध में लागू होता है.

अनुपूरक अनुदान पर चर्चा की व्याप्ति.

(2) अनुपूरक अनुदानों पर वाद-विवाद केवल उन मदों तक ही सीमित रहेगा जिन पर अनुपूरक अनुदान बताये गये हों और जब तक तद्धीन मदों की व्याख्या करने या उन्हें स्पष्ट करने के लिये आवश्यक न हो, मूल अनुदानों पर या उनसे संबंधित नीति पर कई चर्चा नहीं होगी.

सांकेतिक अनुदान.

157. जब किसी नई सेवा पर प्रस्तावित व्यय के लिये पुर्नविनियोग द्वारा धन उपलब्ध किया जा सके, तो सांकेतिक राशि के अनुदान की मांग सभा के मतदान के लिये रखी जा सकेगी और यदि सभा मांग की अनुमति दे दे तो धन उस तरह उपलब्ध किया जा सकेगा.

(ग) विनियोग विधेयक.

विनियोग विधेयक.

158. (1) संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए, विनियोग विधेयक के बारे में प्रक्रिया, ऐसे रूप भेदों के साथ, जैसे अध्यक्ष आवश्यक समझे वही होगी जो सामान्यतया विधेयकों के लिये होती है.

(2) सभा में विनियोग विधेयक के पुरःस्थापित होने के बाद किसी भी समय अध्यक्ष सभा द्वारा विधेयक के कारण में अन्तर्ग्रस्त सभी या किसी प्रक्रम को पूरा करने के लिये संयुक्त रूप से अलग-अलग एक या कई दिन नियत कर सकेगा और जब ऐसा नियतन किया जा चुका हो तो अध्यक्ष, यथास्थिति नियत दिन या नियत दिनों के अंतिम दिन 17.00 बजे उस प्रक्रम या प्रक्रमों के संबंध में, जिनके लिये वह या वे दिन नियत किये गये हों, सभी अवशिष्ट विषयों को निपटाने के लिये प्रत्येक आवश्यक प्रश्न तुरन्त रखेगा.

(3) अध्यक्ष, यदि वह ठीक समझे, सभी या किसी प्रक्रम पर, जिसके लिये पिछले उपनियम के अधीन एक या कई दिन नियत किये गये हों, भाषणों के लिए समय-सीमा विहित कर सकेगा.

विनियोग विधेयक पर चर्चा.

159. (1) विनियोग विधेयक पर वाद-विवाद लोक महत्व के या विधेयक में आने वाले अनुदानों में अन्तर्निहित प्रशासकीय नीति के ऐसे विषयों तक सीमित रहेगा जो पहले ही उस समय न उठाये जा चुके हों जबकि संगत अनुदानों की मांगें विचाराधीन थीं.

(2) अध्यक्ष, वाद-विवाद की पुनरुक्ति को रोकने की दृष्टि से, विनियोग विधेयक पर चर्चा में भाग लेने के इच्छुक सदस्यों को उन विशिष्ट विषयों की पूर्व सूचना देने को कह सकेगा जो वे उठाना चाहते हों और वह ऐसे विषयों को उठाने के लिये अनुज्ञा रोक सकेगा जो उसकी राय में किसी अनुदान की मांग के संबंध में चर्चा किये गये विषयों की पुनरुक्ति प्रतीत होते हों या जो पर्याप्त लोक-महत्व के न हों.

(3) यदि विनियोग विधेयक किसी वर्तमान सेवा के संबंध में अनुपूरक अनुदान के अनुसरण में हो तो चर्चा केवल उन्हीं मदों तक सीमित रहेगी जिनसे वह अनुदान बना हो और जहां तक चर्चाधीन खास मद की व्याख्या करने या उसे स्पष्ट करने के लिये आवश्यक न हो, उस सीमा तक मूल अनुदान पर उससे संबंधित नीति पर कोई चर्चा नहीं होगी.

160. इस बात के होते हुए भी कि कोई दिन नियम 152, 153 और 158 के अधीन अन्य कार्य के लिये नियत किया जा चुका हो, उस दिन सभा द्वारा वह कार्य करने से पहले, जिसके लिये वह दिन नियत किया गया हो, विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति के लिये प्रस्ताव किया जा सकेगा और विधेयक को पुरःस्थापित किया जा सकेगा.

कार्य जो किसी प्रकार के वित्तीय कार्य के लिये नियत किसी दिन लिया जा सकता है.

161. इन नियमों के अधीन अध्यक्ष द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्तियों के अतिरिक्त वह ऐसी सब शक्तियों का भी प्रयोग कर सकेगा जो समस्त वित्तीय कार्य को समय पर पूरा करन के प्रयोजन के लिये आवश्यक हो और विशेषतः वह विभिन्न प्रकार के ऐसे कार्य को निबटाने के लिये समय नियत कर सकेगा और जब इस तरह समय नियत किया जाये तो वह निश्चित समय पर ऐसे प्रक्रम या प्रक्रमों से संबंधित, जिनके लिये समय नियत किया गया हो, सब अवशिष्ट विषयों को निबटाने के लिये प्रत्येक आवश्यक प्रश्न तुरन्त रखेगा.

वित्तीय कार्य के निबटाने के लिये समय-सीमा.

व्याख्या :- वित्तीय कार्य में कोई भी ऐसा कार्य सम्मिलित है, जिसे अध्यक्ष संविधान के अधीन इस वर्ग का कार्य ठहराये.